


::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान राज्य में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला न्यायालय, भिवाड़ी जिला खैरथल तिवारा (अलवर न्यायक्षेत्र)	भिवाड़ी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला न्यायालय, तारानगर जिला चुरू	तारानगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला न्यायालय, नोखा जिला बीकानेर	नोखा	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला न्यायालय, कुशलगढ जिला बांसवाड़ा	कुशलगढ	स्थानीय क्षेत्राधिकार
5	अपर जिला न्यायालय, जायल जिला नागौर (मेड़ता न्यायक्षेत्र)	जायल	स्थानीय क्षेत्राधिकार
6	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, रावसिंहनगर जिला अनुपगढ (श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र)	रावसिंहनगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
7	अपर जिला न्यायालय, फागी जिला दूदू (जयपुर जिला न्यायक्षेत्र)	फागी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
8	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, खेतडी जिला नीम का थाना (झुंझुनू न्यायक्षेत्र)	खेतडी	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,


(जान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/22/2023/...1.3.7.7.

Date: 31.8.2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The concerned District & Sessions Judge.
3. The concerned Chief Judicial Magistrate
4. The concerned Court .
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022


जयपुर दिनांक 29 AUG 2023

::अधिसूचना::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 दिनांक 05.02.2015 की निरन्तरता में, निम्नलिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां संबंधित न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला न्यायालय, मियाड़ी जिला खैरथल तिजारा (अलवर न्यायक्षेत्र)	मियाड़ी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला न्यायालय, तारानगर जिला चुरू	तारानगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला न्यायालय, नोखा जिला बीकानेर	नोखा	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला न्यायालय, कुशलगढ जिला बांसवाड़ा	कुशलगढ	स्थानीय क्षेत्राधिकार
5	अपर जिला न्यायालय, जायल जिला नागौर (मेड़ता न्यायक्षेत्र)	जायल	स्थानीय क्षेत्राधिकार
6	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, रायसिंहनगर जिला अनुपगढ (श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र)	रायसिंहनगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
7	अपर जिला न्यायालय, फागी जिला दूदू (जयपुर जिला न्यायक्षेत्र)	फागी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
8	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, खेतडी जिला नीम का थाना (झुंझुनू न्यायक्षेत्र)	खेतडी	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,


(मान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/22/2023/..137.6

Date: 31/8/2023

- Copy forwarded to the following for information and necessary action:-
1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
 2. The concerned District & Sessions Judge.
 3. The concerned Chief Judicial Magistrate
 4. The concerned Court .
 5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


31.8.2023
REGISTRAR (RULES)